न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 51/2025 (अपील)
जी.सी.एम.एस.नं. – 2025/122

उनवान

1. रणजीत सिह पुत्र जलवार सिह जाति सिक्ख
2. गुरूमीत सिह पुत्र जलवार सिह जाति सिक्ख निवासीगण ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद,जिला कोटा

(अपीलान्ट)

बनाम

1. भैरूलाल पुत्र नोनदा जाति रेगर निवासी ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद,जिला कोटा।
2. भवरलाल पुत्र बजरंगलाल जाति गुर्जर
3. चन्दर पुत्र भवरलाल जाति गुर्जर
4. अजीत सिह पुत्र प्रीतम सिह जाति सिक्ख निवासीगण ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद,जिला कोटा।

(रेंस्पोडेन्टस्)

प्रकरण संख्या : 71/2025 (अपील)
जी.सी.एम.एस.नं. – 2025/122

उनवान

1. भवरलाल पुत्र बजरंगलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुल्तानपुर,जिला कोटा।
2. चन्दर पुत्र भवरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुल्तानपुर,जिला कोटा।

(अपीलान्ट)

बनाम

1. भैरूलाल पुत्र नोनदा जाति रेगर निवासी ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद,जिला कोटा।
2. रणजीत सिह पुत्र जलवार सिह जाति सिक्ख
3. गुरूमीत सिह पुत्र जलवार सिह जाति सिक्ख निवासीगण ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद,जिला कोटा चन्दर पुत्र भवरलाल जाति गुर्जर
4. अजीत सिह पुत्र प्रीतम सिह जाति सिक्ख निवासीगण ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद,जिला कोटा।

(रेंस्पोडेन्टस्)

उपस्थित अभिभाषक :– श्री धनश्याम नागर,(अपीलान्ट)

श्री अनिल शर्मा (रेस्पोडेन्टस्)

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

अपील बनाराजगी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दीगोद,ओदश दिनांक 8.7.2025 अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम

न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा,

निर्णय दिनांकः- 29/5/26

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि उक्त उनवानी दोनो अपीलो की प्रकृति एक होने के कारण दोनो अपीलो को समेकित किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट को ग्राम सुल्तानपुर स्थित खसरा नम्बर 685 रकबा 0.57 है0 पर से बेदखल करने का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अपीलान्ट खसरा नम्बर 584 के खातेदार है तथा बाद खरीद से अपीलान्ट अपनी आराजी को आज भी जिस खातेदार से खरीद की जाना अपीलान्ट को कब्जा दिया गया उसी जगह पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। किन्तु फिर भी अपीलान्ट की अनुपस्थिति में मौका देखे बिना ही अपीलान्ट को अपनी ही आराजी से बेदखल करने का आदेश प्रदान कर दिया जों सर्वथा त्रुटि पूर्ण है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट की आराजी ग्राम झोटोली पक्की डामर सडक खसरा न. 675 से लगवा है सडक ओर अपीलान्ट की आराजी के मध्य रेस्पोडेन्ट कम 1 की कोई आराजी नही है किन्तु फिर भी रोड और अपीलान्ट की आराजी के मध्य रेस्पोडेन्ट कम 1 की आराजी होना बताकर बेदखली का आदेश प्रदान कर दिया जो त्रुटि पूर्ण है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार खसरा न. 685 की आराजी का उपयोग रास्ते के काम ली जाती रही है इस प्रकार रिपोर्ट के विपरीत आदेश दिया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी रिपोर्ट दिनांक 26.4.2023,18.12.23 व दिनांक 26.5.25 एक दूसरें के विपरीत होने के बाद भी अपीलान्ट के विरूद्व आदेश प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तो अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया न अपीलान्ट को कोई सूचना दी गई। उक्त तीनो रिपोटे अपीलान्ट की अनुपस्थिति में दर्ज की गई है जिन पर अपीलान्ट को आपत्ति होने के बावजूद भी अपीलान्ट के विरूद्व आदेश प्रदान किया गया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 8.7.2025 से व्यय निरस्त फरमाया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्टस् की ओर से वकील श्री अनिल शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेंमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से चाही गई रिपोर्ट में भी भिन्नता होने व अपीलान्ट की आपत्ति होने के बाद भी जैर अपील निर्णय पारित किया गया है जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फ़रमावें।

वकील रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के विरूद्व दो अलग अलग अपीले पेश हुई थी किन्तु दोनो अपीलो की प्रकृति समान होने के कारण न्यायालय द्वारा दोनो अपीलो को समेकित किया गया है। दोनो अपीलों में पक्षकार समान है। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा भी अपनी बहस में यह कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अतः आदेश निरस्त फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 8.7.2025 के विरूद्व पेश की गई है। वकील अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त अपील में मुख्यरूप से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिये व पटवारी हल्का की रिपोर्ट भिन्नता होने के बाद भी आदेश पारित किया जाने का कथन किया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैरअपील निर्णय दिनांक 8.7.2025 के विरूद्व दो अपीले न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। दोनो अपीलो में पक्षकारान् समान है, सभी पक्षकारान् द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। सभी पक्षकारान् द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया जाना मुख्यरूप से अपील में अंकित किया है। प्रकरण में न्यायालय का यह मत है कि पक्षकार को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाने के उपरान्त ही विधिसंवत निर्णय पारित किया जाना चाहिए।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 8.7.2025 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार दीगोद को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि सभी पक्षकारान् को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 29/5/26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अति. जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा
कोटा